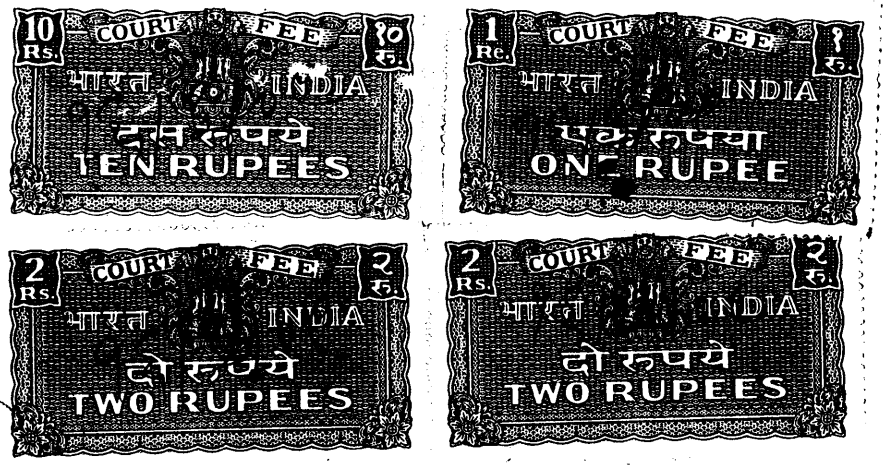

(12)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ निगरानी - R-310-PBR/09

रामदुलारी पुत्री श्री चिरोंजीलाल
निवासिन तहसील पोहरी, जिला
शिवपुरी, म०प्र० -- प्रार्थिया

विरुद्ध

१। रामचरण पुत्र श्री भम्पू
२। कमलू पुत्र श्री जगराम
३। तेरसिया पुत्र श्री भमरा
४। चन्दी पुत्री श्री देवलाल
५। रामलाल पुत्र श्री फुन्दी
६। परमादी पुत्र श्री नथुआ
७। डगुआ पुत्र श्री फुन्दी
८। बाबू पुत्र श्री भम्पू
सभी निवासीगण ग्राम कोल्हापुर
तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी,
म०प्र० -- प्रतिप्रार्थीगण

एम. के. अवस्थी - एडवोकेट
16-3-09

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, ग्वालियर संभाग दिनांक १-१२-०८ अन्तर्गत धारा ५० मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता १९५९। प्रकरण क्रमांक ३८/०७-०८ अपील।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं हैं।

---- २

(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 310–अध्यक्ष/09 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23 – 5–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 38/अपील/07–08 में पारित आदेश दिनांक 1.12.08 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सरांश इस प्रकार है कि तहसीलदार पोहरी जिला शिवपुरी द्वारा अपने परित आदेश दिनांक 17.10.96 द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत ग्राम कोल्हापुर की भूमि सर्वे कमांक किता 16 रकवा 9.91 है पर आवेदिका रामदुलारी का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करने के आदेश दिये गये । इस आदेश के विरूद्ध रामचरण आदि के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें आवेदकगण की अपील स्वीकार की गई इससे परिवेदित होकर अपर आयुक्त के यहां आवेदिका द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसमें अपर आयुक्त द्वारा अपील अस्वीकार की गई इससे दुखी होकर यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी तथा अनावेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ द्वारा अपनी अपनी बहस में कहा है कि प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जावे। अधिवक्तागण का निवेदन स्वीकार किया जाकर अभिलेख के आधार पर निराकरण किया जा रहा है।	

4- मेरे द्वारा अभिलेख का अवलोकन किया । उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया। आवेदक द्वारा बताया गया है कि आवेदिका के पिता की भूमि थी उनका स्वर्गवास होने के उपरांत उनके नाम नामांतरण तहसीलदार द्वारा किया गया था लेकिन राजस्व अभिलेख में अमल नहीं हुआ, बन्दोबस्त के दौरान भूमि शासन दर्ज हो गई । उक्त त्रुटि सुधार के लिये म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 89 के अन्तर्गत तहसीलदार को अधिकार दिये गये हैं । तहसीलदार ने सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात विधिवत प्रकिया का पालन किया जाकर संशोधन के आदेश दिये। अभिलेख का अध्ययन से यह तथ्य प्रकट है कि तहसीलदार के द्वारा प्रकरण कमांक 95/77-78/अ-68 में पारित आदेश दिनांक 31.3.81 द्वारा चिंरोजीलाल को भूमि स्वामी हक दिया गया है चिरोंजीलाल की मृत्यु के पश्चात नामांतरण पंजी कमांक-2 दिनांक 25.9.91 को रामदुलारी का नामांतरण स्वीकार किया है परन्तु राजस्व अभिलेख में अमल नहीं किया गया। तहसीलदार द्वारा आपने आदेश में आदिवासियों के कब्जे का आलोच्य भूमि होने का उल्लेख किया गया है लेकिन उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और न ही शासन को पक्षकार बनया गया है जबकि कलेक्टर को पक्षकार बनया जाना आवश्यक था।

5- अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी पोहरी एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समवर्ती आदेश होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है । अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक

(19)

1.12.08 सही होने के कारण स्थिर रखा जाता है । पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

के. सी. जैन
सदस्य